न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 128 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. धनाराम पुत्र लाखाराम वगै. बनाम 1.सांगाराम पुत्र मीठू वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री मुकनसिंह अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.12.2019

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया पत्रावली कैम्प में कौर्ट में सुनवाई बाबत रखी ऐसी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद अपीलांट द्वारा कही बार नकले मांगी तब अपीलांट को नकलें नहीं दी गई तथा न ही अपीलांट का आवेदन दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा लंबे प्रयाय के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 25.10.2016 को प्राप्त हुई तब अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले से संबंधित कोई आवेदन किया हो तथा उनको नकले नहीं दी गई हो ऐसा पत्रावली पर कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकलों के लिए आवेदन कौन कौनसी दिनांक को पेश किया गया ऐसा कोई तथ्य अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट संख्या 06 स्वयं के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की उस दिन की आदेशिका पर अंगुष्ठ निशान है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी इतने समय तक केसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 01 वर्ष 04 माह की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2012 बअनवान सांगाराम वगै. बनाम स्व. चनू के वारिसान वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

06/12/19

(नाथूसिंह सतावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner